न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **34/2026** दायर दिनाँक **30.01.2026**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. मालचन्द मीणा पुत्र नाथुराम जाति मीणा निवासी आडका बास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन	बनाम	1. भैराराम पुत्र कानाराम निवासी बडालिया तहसील लूणी जिला जोधपुर राज.। 2. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र वास्ते पत्थरगढी
अन्तर्गत धारा–128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री तेजपाल पुरी वकील प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.04.2026**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 3060/2734 रकबा 01.7780 है. भूमि मौजा डीडवाना में अवस्थित है। उक्त भूमि का वादी ने दिनांक 05.01.2025 को आवेदन क्रमांक 2026/63051/1 जिस पर पटवारी हल्का डीडवाना के द्वारा दिनांक 23.01.2026 को मौके पर जाकर उपस्थित गवाहन के समक्ष सीमाज्ञान कर बाद सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रतिवादी 02 के समक्ष प्रस्तुत की। बाद सीमाज्ञान वादी एवं प्रतिवादी की जानकारी में आया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी के "खसरा संख्या 2735 की उतरी सीमा को मुस्तगीस बिन्दु मानते हुए खसरा संख्या 3060/2734 का सीमाज्ञान किया गया है। खसरा संख्या 3060/2734 की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा नक्शे के मुताबिक अवस्थित है, परन्तु उत्तरी व दक्षिणी सीमा पर अतिक्रमण किया हुआ है" वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खोतदारी के खते खसरा संख्या 3060/2734 का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नजरी नक्शानुसार संलग्न सीमाज्ञान रिपोट के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना कानूनी विधि सम्मत आया है। जिससे वादी ने जब पटवारी हल्का, डीडवाना को पत्थरगढी के लिए दिनांक 29.01.2026 को निवेदन किया तो पटवारी हल्का डीडवाना ने राजस्व न्यायालय के आदेश से ही पत्थरगढी की कार्यवाही होना बताया। जिससे वास्ते पत्थरगढी हेतु वाद हैतूक पैदा होने से वाद पत्र नियमानुसार प्रस्तुत है।

वादी की प्रार्थना इस [illegible] है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आ[illegible] को जारी फरमाई जाये कि मौजा डीडवाना, पटवार हल्का [illegible] डीडवाना के खसरा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

3060/2734 रकबा 01.7780 है. राजस्व भूमि वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी ई की भूमि पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.01.2026 के एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार पत्थरगढी करवायी जाने का निर्णय फरमावें।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– भू.अ./सीमाज्ञान/2026/524 दिनांक 09.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत नजरी नक्शा में वर्णितानुसार उत्तरी सीमा पर काश्तकार जगदीश पुत्र लालाराम पंवार एवं दक्षिणी सीमा पर क्रम संख्या 1 – गजानन्द पुत्र रामगोपाल, पवन कुमार पुत्र रामगोपाल, विजयलक्ष्मी पुत्री रामगोपाल, सीताराम पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी आडका डीडवाना, क्रम संख्या 2– हनुमान पुत्र नानूराम जाति मीणा निवासी आडका बास डीडवाना, क्रम संख्या 3– भंवरलाल पुत्र खेताराम, राधेश्याम पुत्र खेताराम मीणा व एस.टी.पी. पम्प हाउस उक्त खसरे में उत्तर दिशा में व दक्षिण दिशा में किये गये अतिक्रमण दर्शाया गया है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 3060/2734 रकबा 01.7780 है. का प्रार्थी पत्थरगढी करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित राजस्व आराजी पर अन्य पडौसी खातेदारों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि का तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– भू.अ./सीमाज्ञान/2026/524 दिनांक 09.03.2026 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद डीडवाना के खेत खसरा सं0 3060/2734 रकबा 01.7780 है. भूमि का प्रार्थी का पत्थरगढी बाबत हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– भू.अ./सीमाज्ञान/2026/524 दिनांक 09.03.2026 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 09.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना